तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होकर पूर्व में शामिल पत्रावली होने से अप्रार्थी राज पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात है कि विरासत के नामांतरकरण सं. 1921 स्वीकृत दिनांक 29-12-2010 से बाबूलाल पुत्र भूलाराम के फौत होने से प्रार्थी अशोक कुमार का नाम वादग्रस्त भूमि में बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपना सम्मानजनक नाम अचलाराम दर्ज किए जाने की मांग की गई है। जबकि उक्त प्रकरण में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की गई है एवं न ही किसी प्रकार की लिपिकीय भूल हुई है। इसके साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज अशोक कुमार नाम भी सम्मानजनक नाम है।

3

इस प्रकार नामांतरकरण सं. 1929 व तहसीलदार बाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र ~~खा~~ प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली